न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।

उपस्थितः– धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code-UP-2002)

सत्र परीक्षण संख्या–547 सन् 2022

C.N.R.No-UPGH010033312022

उत्तर प्रदेश राज्य

.... **अभियोजन पक्ष,**

बनाम

1– संजय यादव पुत्र रमाशंकर यादव,

2– चनवा देवी पत्नी रमाशंकर यादव,

निवासीगण–ग्राम मतसा, थाना–जमानियॉ, जिला–गाजीपुर।

................**अभियुक्तगण,**

अपराध संख्या–11 सन् 2022
धारा–498 ए, 304 बी/34 वैकल्पिक
धारा– 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व
धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना– जमानियां, **जिला–**गाजीपुर।

निर्णय

1– पुलिस थाना जमानियॉ, जिला गाजीपुर द्वारा अभियुक्तगण संजय यादव एवं चनवा देवी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 11/2022 में धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2– अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध प्रेषित उक्त आरोप–पत्र तथा सम्बन्धित अभिलेख, तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के आदेश दिनांकित 08–10–2022 से सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

3– प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक संक्षिप्त यह है कि वादी मुकदमा शिवसागर यादव पुत्र स्व० पुरूषोत्तम यादव, निवासी ग्राम लमुई, थाना जमानियॉ, जिला गाजीपुर ने थाना जमानियॉ, जिला गाजीपुर पर दिनांक 09–01–2022 को समय 21:40 बजे इस आशय की तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत किया कि उसने अपनी पुत्री सुलेखा की शादी संजय यादव पुत्र रमाशंकर यादव ग्राम मतसा, पोस्ट जमानियॉ से किया था। उसकी पुत्री के पति संजय यादव पुत्र रमाशंकर यादव, ननद सरोज यादव पुत्री रमाशंकर यादव, सास चनवा देवी पत्नी रमाशंकर यादव, देवर विनोद यादव, सोनू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासीगण ग्राम मतसा, थाना जमानियॉ गाजीपुर सभी मिलकर दहेज की बात को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते थे। उसकी पुत्री की शादी 02

वर्ष पूर्व हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। दिनांक 09–01–2022 को समय 02:00 बजे दोपहर में उसकी पुत्री को मारपीट कर हत्या कर दिये। उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 अभियुक्तगण संजय यादव, सरोज यादव, चनवा देवी, विनोद यादव एवं सोनू यादव के विरूद्ध अपराध संख्या 11/2022 अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना जमानियॉ, गाजीपुर में दर्ज की गयी, जिसकी कायमी उसी दिन थाने की जी०डी० प्रदर्श क–9 में अंकित की गयी। पुलिस द्वारा मृतका सुलेखा के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–2 तैयार किया गया, मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराये जाने के बाबत पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर प्रदर्श क–3, पत्र प्रतिसार निरीक्षक, गाजीपुर प्रदर्श क–4, पुलिस फार्म नंबर–13 प्रदर्श क–5, पुलिस फार्म नंबर–379 फोटो नाश प्रदर्श क–6 एवं नमूना मुहर प्रदर्श क–7 तैयार किया गया। डा० के०डी० उपाध्याय द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 10–01–2022 को किया गया तथा मृतका के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–10 तैयार किया गया। विवेचना के दौरान विवेचक ने मृतका के विवाह का निमंत्रण कार्ड वस्तु प्रदर्श–1 प्राप्त किया एवं घटनास्थल का नक्शा–नजरी प्रदर्श क–11 तैयार किया तथा साक्षीगण के साक्ष्य अंकित किये, तत्पश्चात दौरान विवेचना इस प्रकरण में नामजद अभियुक्तगण ननद सरोजा यादव, देवर सोनू यादव एवं विनोद की घटना में संलिप्तता न पाते हुए विवेचना से उनका नाम हटाया गया एवं अभियुक्तगण संजय यादव एवं चनवा देवी की संलिप्तता पाते हुए उनके विरूद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क–12 अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम न्यायालय में प्रेषित किया गया। मृतका का विसरा रिपोर्ट पत्रावली पर का०सं०–48 अ है, जिसमें यह उल्लिखित है कि मृतका के विसरा के अंश में कोई भी रासायनिक विष नहीं पाया गया।

4– सत्र सुपुर्दगी के पश्चात उक्त आरोपपत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण संजय यादव एवं चनवा देवी के विरूद्ध धारा 498 ए, 304 बी/34 भारतीय दण्ड संहिता व वैकल्पिक आरोप धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप दिनांक 24–08–2022 को विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की याचना की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा शिवसागर, पी०डब्लू०–2 तेजबहादुर यादव, पी०डब्लू०–3 विकास यादव, पी०डब्लू०–4 तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा, पी०डब्लू०–5 हेड कांस्टेबिल नितिन कुमार दूबे, पी०डब्लू०–6 डा० के०डी०उपाध्याय एवं पी0 डब्लू0–7 विवेचक क्षेत्राधिकारी हितेन्द्र कृष्ण को परीक्षित कराया गया है।

<u>मौखिक साक्ष्यों का विवरण</u>

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य का प्रकार

पी०डब्लू०–1	शिवसागर	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	तेजबहादुर यादव	तथ्य साक्षी
पी०डब्लू०–3	विकास यादव	तथ्य साक्षी
पी०डब्लू०–4	तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा	पंचायतनामाकर्ता/औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०–5	हेड कांस्टेबिल नितिन कुमार दूबे	चिक लेखक/औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०–6	डा० के०डी० उपाध्याय	शव विच्छेदन कर्ता/औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०–7	क्षेत्राधिकारी हितेन्द्र कृष्ण	विवेचक/औपचारिक साक्षी

6– साक्षी पी०डब्लू०–1 शिवसागर वादी मुकदमा ने तहरीर प्रदर्श क–1, विवाह के निमंत्रण कार्ड वस्तु प्रदर्श–1 को, साक्षी पी०डब्लू०–4 तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा ने पंचायतनामा प्रदर्श क–2, पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क–3, पत्र प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क–4, पुलिस प्रपत्र संख्या 13 चालान नाश प्रदर्श क–5, फोटो नाश प्रदर्श क–6, नमूना मुहर प्रदर्श क–7 को, साक्षी पी०डब्लू०–5 हेड मुहर्रिर नितिन कुमार दूबे ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–8 एवं नकल जी०डी० प्रदर्श क–9 को, साक्षी पी०डब्लू०–6 डा० के०डी० उपाध्याय ने शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–10 को तथा साक्षी पी०डब्लू०–7 क्षेत्राधिकारी विवेचक हितेन्द्र कृष्ण ने नक्शा नजरी प्रदर्श क–11 एवं आरोपपत्र प्रदर्श क–12 को साबित किया है।

<u>अभिलेखीय साक्ष्य का विवरण</u>

क्रम संख्या	प्रकार/प्रदर्श संख्या	साबित किया गया
1	लिखित तहरीर/प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2	पंचायतनामा/प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–4
3	पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–4
4	पत्र प्रतिसार निरीक्षक/प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–4
5	पुलिस प्रपत्र–13, चालान नाश/प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–4
6	फोटो नाश/प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–4
7	नमूना मुहर/प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–4
8	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–5

9	नकल जी०डी०/प्रदर्श क–9	पी०डब्लू०–5
10	शव विच्छेदन आख्या/प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–6
11	नक्शा–नजरी/प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–7
12	आरोप–पत्र/प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–7

भौतिक (Material) साक्ष्य का विवरण

1	विवाह का निमंत्रण कार्ड/वस्तु प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1

7– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण संजय यादव एवं चनवा देवी का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया है एवं सफाई साक्ष्य एवं लिखित कथन अन्तर्गत धारा–233(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता देने का कथन किया गया है।

अभियुक्तगण ने लिखित कथन अन्तर्गत धारा–233(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता/256(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कथन किया है कि " संजय यादव की शादी सुलेखा के साथ वर्ष 2014 में सकुशल सम्पन्न हुई थी। मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य ने शादी के पूर्व, शादी में अथवा शादी के बाद सुलेखा तथा सुलेखा के परिवार के किसी सदस्य से दहेज में किसी वस्तु की मांग नहीं की गयी थी और न ही दहेज के लिये सुलेखा को मैं तथा परिवार के किसी सदस्य ने मानसिक व शारीरिक रूप से सुलेखा को उत्पीड़ित या प्रताड़ित ही किया और न ही सुलेखा को आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित ही किया। सुलेखा वर्ष 2019 में द्विरागमन में पहली बार विदा होकर मेरे घर आने के उपरांत अपने पत्नी धर्म का बखूबी पालन करती थी तथा परिवार के सारे सदस्य सुलेखा का सम्मान करते थे, लेकिन सुलेखा को मात्र इस बात का कष्ट था कि उसके उपर ही परिवार की सारी जिम्मेंदारी है, जिससे वह थक जाती थी तथा हमेशा दुखी रहती थी। मैं तथा मेरे परिवार के सदस्य तथा सुलेखा के पिता व परिवार के अन्य लोग सुलेखा को समझाने का प्रयास करते थे कि तुम्हारे देवर की शादी होने के उपरांत तुम्हारे काम का बोझ कम हो जायेगा, लेकिन वह दुखी रहा करती थी तथा सम्भवतः इसी दुख के कारण जब प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के सारे सदस्य घर से बाहर थे तथा सुलेखा अकेले घर पर ही थी, उसने उत्तेजना में गले में फांसी का फंदा लगाकर मर गयी। जब मैं व मेरे परिवार के अन्य सदस्य वापस घर आये, तो सुलेखा को मृत अवस्था में देखे, उस समय पूरा परिवार हतप्रभ रह गया तथा सुलेखा के मरने की सूचना तत्काल उसके पिता शिवसागर यादव व पुलिस थाना जमानियां, गाजीपुर को दी गयी। सुलेखा के पिता अपने कुछ सहयोगियों के साथ मेरे गांव आये तथा पुलिस थाना जमानियां गाजीपुर द्वारा सुलेखा की लाश सीलबन्द करके आरक्षी के माध्यम से सदर

चिकित्सालय, गाजीपुर में दिनांक 09.01.2022 को रात्रि में ही भेज दी गयी। सुलेखा के पिता व उनके सहयोगियों द्वारा मुझसे व मेरे पिता से पैसे की मांग की जाने लगी, लेकिन हम लोगों के विरोध करने पर मुकदमा वादी तथा उनके साथ के लोग नाराज होकर वापस चले गये तथा फर्जी तथ्यों के आधार पर मेरे तथा मेरे परिवारवालों के विरूद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवा दिये। सुलेखा मेरे परिवार की एकमात्र बहू थी। मैं तथा मेरे परिवार के सारे सदस्य निर्दोष हैं।

<u>बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का विवरण</u>

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य का प्रकार
1	डा० अब्दुल मजीद	बचाव साक्षी
2	उपनिरीक्षक विरेन्द्र प्रसाद मिश्र	बचाव साक्षी

<u>बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य</u>

क्रम संख्या	प्रकार /प्रदर्श संख्या	साबित किया गया
1	सुलेखा के शव को शवगृह में रखन के बाबत प्रपत्र/प्रदर्श ख–1	डी०डब्लू०–1
2	नकल जी०डी० संख्या 67/प्रदर्श ख–2	डी०डब्लू०–2

8– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

9– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि मृतका सुलेखा देवी की शादी अभियुक्त संजय यादव से दिनांक 15.06.2019 को हुई थी। शादी के पश्चात मृतका अपनी ससुराल गयी, जहाँ पर अभियुक्तगण मृतका से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे और उसकी पूर्ति नहीं होने पर मृतका को प्रताड़ित करने लगे। जिसकी सूचना मृतका अपने परिवार वालों को दी थी और अन्ततः अभियक्तगण मृतका की दहेज हत्या कारित कर दिये। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये सभी साक्षीगण अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये।

10– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्होंने मृतका से कभी भी किसी प्रकार की दहेज की मॉग नहीं की है। वास्तविकता यह है कि मृतका सुलेखा को इस बात का कष्ट था कि उसके उपर ही परिवार की सारी जिम्मेंदारी थी और पूरे परिवार का खाना बनाना पड़ता था, जिससे वह थक जाती थी एवं वह दुखी रहती थी। अभियुक्तगण तथा मृतका सुलेखा के परिवार के

सदस्य सुलेखा को समझाने का प्रयास करते थे कि तुम्हारे देवर की शादी हो जाने के उपरान्त तुम्हारा काम का बोझ कम हो जायेगा, लेकिन वह दुखी रहा करती थी। सम्भवतः इसी दुख के कारण जब अभियुक्तगण घर के बाहर थे, तब मृतका सुलेखा गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तथ्य को पी०डब्लू०–1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्षीगण के साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण मृतका से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा उसे प्रताड़ित करते थे। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित नहीं है कि मृतका को उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व प्रताड़ित किया गया हो, बल्कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश किये गये हैं, उससे यह तथ्य साबित है कि अभियुक्तगण मृतका को प्रेम पूर्वक रखते थे तथा उससे दहेज की मांग नहीं करते थे। मृतका की मृत्यु हो जाने के पश्चात अभिुक्तगण द्वारा मृतका के परिवार वालों को फोन करके बुलाया गया और वे लोग आये। इसके पश्चात पुलिस को सूचना दी गयी, पुलिस भी रात्रि हो जाने के कारण मृतका के शव को शव गृह में रखा गया। दूसरे दिन पंचायतनामा किया गया। परन्तु पंचायतनामा होने के पश्चात वादी मुकदमा द्वारा लोगों के समझाने–बुझाने के आधार पर मुकदमा कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य दिये गये हैं, उन साक्ष्यों से अभियुक्तगम के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना की गयी कि अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

11– उभय पक्ष के तर्कों एवं अभियोजन साक्ष्यों के उपरोक्त साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में यह देखा जाना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

12– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य का विवरण उल्लिखित किया जाना उचित है, जो निम्नवत है:–

13– साक्षी पी०डब्लू०–1 शिवसागर ने अपने मुख्यपरीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि वह अपनी लड़की सुलेखा की शादी दिनांक 15.06.2019 को संजय यादव पुत्र रमाशंकर यादव, निवासी ग्राम मतसा, थाना जमनियां के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के साथ किया था व शादी में उपहारस्वरूप घर गृहस्थी के सारे सामान व चार थान सोना व लड़के के लिए सोने की सिकड़ी व अंगूठी तथा 70 हजार नगद दिया था। शादी के बाद उसकी लड़की सुलेखा कुछ दिन तक हंसी खुशी रही, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसकी लड़की के पति संजय यादव, सास चनवा देवी दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे व उसके लिए उसको प्रताड़ित करने लगे, तो कई बार वह स्वयं जाकर व उसके लड़के विकास उसकी लड़की के ससुराल जाकर उन लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन उसका पति संजय मोटरसाइकिल की बार–बार मांग करता था और उसके लिए उसकी पुत्री सुलेखा को उसका पति संजय यादव, ननद सरोज यादव, सास चनवा देवी, देवर विनोद यादव व सोनू यादव ने दहेज के लिए उसकी

लड़की को प्रताड़ित करते थे और उसको मारते–पीटते थे व खाना, कपड़ा नहीं देते थे। दिनांक 09.01.2022 को उसकी लड़की सुलेखा ने उसके लड़के विकास के मोबाइल पर फोन की और कही कि वे लोग दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसके ससुराल के लोग मार रहे हैं और आप चले आइए। तभी वह अपनी लड़की की ससुराल जाने के लिए तैयार होने लगा, तब तक उसके दामाद तेजबहादुर उसके घर आ गए। वह और उसके दामाद सुलेखा के ससुराल गए, तो वहां पर देखा कि उसकी लड़की की हत्या करके फांसी पर लटका दिए हैं, तो उसके दामाद तेजबहादुर ने 112 नंबर पर फोन किया, तो वहां पर थाना जमानियां की पुलिस आ गई। इसके बाद वह थाना जमानियां गया, वहां पर उसके रिश्तेदार दीपेन्द्र शंकर यादव पुत्र विनयशंकर यादव, निवासी गजाधरपुर, थाना करण्डा मिल गए, जिससे उसने इस घटना की तहरीर बोलकर लिखवाया और उसको पढ़वाकर, सुनकर अपना हस्ताक्षर बनाया व थाना जमानियां में ले जाकर दिया। तहरीर शामिल पत्रावली कागज संख्या 5–अ को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक किया, जिस पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया व पंचायतनामा की कार्यवाही के समय वह मौके पर मौजूद था। पंचायतनामा की कार्यवाही तहसीलदार साहब द्वारा किया गया व थाना जमानियां की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या 8अ/1 लगायत 83/2 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की तस्दीक किया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान लिया था व उसके ही निशानदेही पर विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। उसकी लडकी की शादी दिनांक 15.06.2019 को हुई थी, जिसका कार्ड उसने विवेचक को दिया था। वह शादी कार्ड शामिल पत्रावली कागज संख्या 14ब/6 है, जिसको देखकर गवाह ने तस्दीक किया जिस पर **वस्तु प्रदर्श–1** डाला गया।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अपनी लडकी सुलेखा की मृत्यु के संबंध में थाना पर जो तहरीर लिखकर दी गई थी, वह उसके रिश्तेदार इस समय उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने ही लिखकर दिया था। उसके रिश्तेदार ने तहरीर पढकर उसे सुनाया नहीं था, उसने मात्र उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। उसने भी तहरीर पढ़ा नहीं था, क्योंकि वह पढ़ा लिखा नहीं है। उसके रिश्तेदार ने तहरीर में क्या लिखकर थाना पर दिया था, वह नहीं बता सकता है। उसकी लड़की सुलेखा की मृत्यु के संबंध में कभी किसी पुलिस अधिकारी ने उसका बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका 161 द०प्र०सं० का बयान पढकर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि उसका जो भी बयान पुलिस अधिकारी ने केस डायरी में लिखा है, वह अपने मन से लिखा है। उसकी लड़की की शादी वर्ष 2019 में हुई थी, यह उसे याद है। उसकी लड़की सुलेखा व संजय यादव की शादी खुशी–खुशी संपन्न हुई थी। शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने लड़के वाले को हर चीज दी थी तथा शादी की हर रस्म खुशी–खुशी संपन्न हुई थी, खुशी–खुशी उसकी लड़की सुलेखा अपने ससुराल चली गई। वह जब भी सुलेखा के ससुराल जाता था, वहां ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा था तथा ससुराल वाले खुशी–खुशी उसकी विदाई करते थे। उन लोगों में कोई किसी प्रकार का वाद–विवाद नहीं था। उसकी लड़की से उसकी टेलीफोन पर बात–चीत होती थी। उसकी लड़की जब विदा होकर उसके घर आती थी,

तो अपने ससुराल वालों की तारीफ करती थी। जब वह अपनी लड़की की मृत्यु की सूचना पर ग्राम मतसा, थाना जमानियां पहुंचा, वहां गांव का कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसने उसे यह बताया हो कि उसकी लडकी सुलेखा को संजय यादव व उसके परिवार वालों द्वारा हत्या करते हुए अपनी आंख से देखा हो। सुलेखा के मरने के दो तीन महीने पहले वह, उसके ससुराल मतसा गया था। उसके बाद सुलेखा के मरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इन दो–तीन महीनों के बीच उसके परिवार का कोई व्यक्ति सुलेखा से मिलने उसके ससुराल ग्राम मतसा नहीं गया था। उसकी लड़की सुलेखा की लाश का पंचायतनामा ग्राम मतसा में हुआ था। पंचायतनामा के समय वह भी उपस्थित था। शव के पंचायतनामा के समय दरोगा जी ने उससे पुछताछ नहीं किया था, मात्र पंचायतनामा पर उसका हस्ताक्षर बनवाया था। उसके अतिरिक्त दरोगा जी ने पंचायतनामा पर किसका–किसका हस्ताक्षर बनवाया था, उसे नहीं पता। उसकी बेटी सुलेखा की लाश का पंचायतनामा दूसरे दिन दिनांक 10.01.2022 को थाना जमानियां पर हुआ था। पुलिस रात में ही उसकी लड़की की लाश को लेकर थाना पर गयी थी तथा दूसरे दिन थाना पर ही पंचायतनामा हुआ तथा शव विच्छेदन के लिए भेजी गयी। सुलेखा के मरने की सूचना पर जब वह उसके ससुराल ग्राम मतसा पहुँचा, तो उसकी लाश कमरे में पंखा पर लटकी हुई थी। पुलिस के सामने लाश उतारी गयी तथा पुलिस लाश लेकर थाना जमानियां गयी तथा दूसरे दिन पंचायतनामा हुआ। लड़की सुलेखा की मरने की सूचना मिलने पर उसे मतसा आने तथा दूसरे दिन पंचायतनामा होने के उपरान्त लाश पोस्टमार्टम के लिये भेजी गयी, तब तक लाश के साथ ही रहा तथा उसके परिवार व गाँव के लोग जो उसके साथ गये थे, वो लोग भी लाश के साथ रहे। इन स्थानों के अतिरिक्त उसकी लड़की की लाश कहीं नहीं गयी थी। सुलेखा के शादी के अगुवा सुरेश यादव थे। अगुवा सुरेश यादव ने जैसे–जैसे शादी तय किया, दोनों पक्ष सहमत थे। जब उसने सुलेखा की लाश देखा, तो उसके शरीर पर अन्य को चोट का निशान नहीं दिखायी दे रहा था, बल्कि वह गर्दन में साड़ी लगाकर पंखा से लटकी हुई थी। अभियुक्त संजय यादव के पिता तथा सुलेखा के ससुर सज्जन आदमी हैं। सुरेश यादव अगुवा के कहने पर शंकर यादव ने खुशी–खुशी शादी सम्पन्न कर लिया तथा खुशी–खुशी तिलक भी सम्पन्न हो गया, किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद नहीं हुआ था। शंकर यादव विवाह की हर रस्म खुशी–खुशी सम्पन्न किये तथा उनके परिवार के लोग भी उन लोगों से खुश थे तथा उन लोगों के व्यवहार से वे लोग भी खुश थे। गवाह ने खुद कहा कि यह सही है कि उसकी बेटी सुलेखा उस घर की एक मात्र बहू थी तथा वह बखूबी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रही थी। लेकिन उसकी लड़की सुलेखा यह कहती थी कि पापा मेरे ससुराल में लम्बा परिवार है, ज्यादा लोगों को खाना बनाना पड़ता है, मैं थक जाती हूँ, तो वह लोग सुलेखा को समझाते थे कि बेटा धीरे–धीरे सब कुछ ठीक हो जायेगा। जब छोटे वाले भाई की शादी हो जायेगी तथा बहू आ जायेगी, तुम्हारा भी काम कम हो जायेगा, लेकिन इससे वह दुखी रहा करती थी।

14– साक्षी पी०डब्लू०–2 तेजबहादुर यादव ने अपने मुख्यपरीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि मृतका सुलेखा पुत्री शिवसागर रिश्ते में उसकी साली लगती थी। सुलेखा की शादी और उसकी शादी एक ही दिन दिनांक 15.06.2019 को हुई थी।

सुलेखा की शादी में उसके पिता जी ने उपहारस्वरूप 70 हजार रूपया नकद व पूरा सामान दिया गया था। इसकी जानकारी उसे इसलिए है, क्योंकि इतना सामान और उपहारस्वरूप 70 हजार रूपया उसे भी शादी में मिला था। दिनांक 09.01.2022 को उसके श्वसुर शिवसागर ने उसे करीब डेढ़ बजे दिन में फोन किया और बताया कि सुलेखा का फोन आया था और कह रही थी कि वे लोग दहेज में मोटर साइकिल नहीं दिये, इसलिए उसके ससुराल वाले उसे मार पीट रहे हैं आप लोग चले आईये। वह और उसके ससुर मोटरसाइकिल से सुलेखा के ससुराल ग्राम मतसा डेरा पहुंचा और वहां देखा कि सुलेखा की हत्या करके उसे फांसी पर लटका दिया गया है। तब उसने तत्काल 112 नंबर को सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मृतका सुलेखा का पंचायतनामा तहसीलदार जमानियां के समक्ष कराया गया। मौके पर जमानियां की पुलिस भी मौजूद थी। उसके ही सामने लाश को सील मुहर किया गया था। पंचायतनामा की कार्यवाही में वह शामिल था। पंचायतनामा शामिल पत्रावली कागज संख्या 8अ/1 लगायत 8अ/2 को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसकी व उसकी साली सुलेखा की शादी खुशी–खुशी सम्पन्न हुई। उसके पिता जी ने भी उसकी शादी में सुलेखा के परिवार वालों से दहेज के लिये कोई वाद–विवाद नहीं किया था और न ही उसकी जानकारी में सुलेखा के ससुराल वालों ने सुलेखा के मायके वालों से कोई वाद–विवाद किया था। वह दोनों बाराती खुशी–खुशी सोनम व सुलेखा की विदाई कराकर अपने–अपने घर खुशी–खुशी चले गये। सुलेखा के मृत्यु के उपरान्त उसके ससुर शिवसागर ने टेलीफोन से उसे सुलेखा के मरने की सूचना दी, तब वह अपने ससुर शिवसागर के साथ सुलेखा के ससुराल ग्राम मतसा गया था। उसके ससुर शिवसागर ने जैसा उसे सुलेखा के बारे में बताया, उनके बताने के आधार पर ही उसे इस घटना में वर्णित तथ्य की जानकारी है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। जब वह सुलेखा के पिता शिवसागर के साथ सुलेखा के ससुराल ग्राम मतसा पहुँचा उस समय सुलेखा की लाश साड़ी के सहारे पंखे से लटकी हुई थी। उसके 112 नं० के टेलीफोनिक सूचना पर पुलिस मौके पर आयी तथा सुलेखा की लाश को उतारकर थाना जमानियां ले गयी, उस समय ठण्डक का मौसम था तथा 5–6 बजे अंधेरा हो गया था। थाना जमानियां परिसर में उसकी लाश का पंचायतनामा हुआ, लेकिन पंचायतनामा पर उन लोगों का हस्ताक्षर दरोगा जी ने दूसरे दिन थाना पर बुलाकर करवाया था, उससयम सुलेखा की लाश थाना पर नहीं थी, बल्कि रात में ही शव विच्छेदन के लिये जा चुकी थी। उसके अतिरिक्त उसके ससुर शिवसागर, सुरेश यादव, भोला यादव तथा और दो लोग थे, उनका नाम याद नहीं है। दूसरे दिन पाँचो पंचांग का हस्ताक्षर थाना पर ही कराया गया था। देखने में सुलेखा के गर्दन के चोट के अतिरिक्त अन्य कोई चोट दिखायी नहीं दे रही थी। जब वह और शिवसागर मतसा गाँव पहुँचे, तो देखे कि जिस कमरे में सुलेखा की लाश लटकी हुई थी, उसका दरवाजा प्लाई का था तथा आधा तोड़ा गया था तथा दरवाजे की कुंडी अन्दर से टूटी हुई थी। जब वह और शिवसागर सुलेखा की मृत्यु की सूचना पर उसकी ससुराल

मतसा पहुँचे, उस समय उस गाँव का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसने यह बताया हो कि उसने सुलेखा के ससुराल वालों द्वारा सुलेखा को कभी प्रताड़ित करते हुए तथा अपनी आँक से उसकी (सुलेखा) की हत्या कर पंखा से लटकाते हुए देखा हो। वह शिवसागर के साथ सुलेखा के मृत्यु की सूचना पर ससुराल ग्राम मतसा पहुँचा था, इसके अतिरिक्त इस घटना के सम्बन्ध में उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। सुलेखा की शादी के उपरान्त वह कभी उसके ससुराल ग्राम मतसा नहीं गया। उसके और सुलेखा के तिलक की तिथि अलग–अलग थी, लेकिन विवाह की तिथि एक ही थी।

15– साक्षी पी०डब्लू०–3 विकास यादव ने अपने मुख्यपरीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि मृतका सुलेखा यादव उसकी सगी बहन थी, जिसकी शादी दिनांक 15.6.2019 को संजय पुत्र रमाशंकर यादव, निवासी ग्राम मतसा, थाना जमानियां, गाजीपुर के साथ हुई थी। शादी में उपहार स्वरूप लड़के को सिकड़ी, अंगूठी, पंखा, बेड, कूलर, सोफा आलमारी व 70 हजार रूपये नगद दिया गया था, इसके बावजूद भी उसकी बहन से शादी के बाद दहेज में मोटरसाइकिल हीरो होण्डा की मांग करते थे तथा उसका पति संजय यादव उसकी बहन को प्रताड़ित करता था तथा मारता पीटता था। यह बात उसकी बहन घर आकर सभी को बतायी थी। उसके पिताजी ने इसके बारे में उसकी बहन के ससुराल वालो से बातचीत भी किए थे। दिनांक 09–02–2022 को सूचना मिली कि उसकी बहन सुलेखा यादव को उसके पति संजय, सास चनवा देवी, ननद सरोज यादव व देवर विनोद यादव, सोनू यादव ने दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण उसकी बहन सुलेखा को मारकर उसी की साड़ी के फंदे में पंखे से टांग दिए। घटना के दिन ही उसकी बहन ने उसको फोन पर बताया कि भैया उसे उसके ससुराल वाले मार रहे हैं, तो उसने अपने पिता शिवसागर को यह बात बताया, तो उसके पिता व उसके जीजा तेजबहादुर यादव, उसकी बहन सुलेखा के ससुराल गए, तो पता चला कि उसकी बहन सुलेखा की हत्या हो चुकी है। इस घटना के संबंध में उसके पिता जी ने थाना जमानिया में रिपोर्ट किया था। इस घटना के संबंध में विवेचक ने उसका बयान लिया था।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि दोनों बहनों के तिलक का दिन अलग–अलग था, लेकिन शादी एक ही दिन हुई थी। वह तिलक में उपस्थित था, दोनों बहने के तिलक व विवाह में वह पक्ष द्वारा हर रस्म खुशी–खुशी सम्पन्न की गयी थी तथा दोनों पक्ष खुशहाल था। इस घटना के सम्बन्ध में एफ०आई०आर० पंजीकृत होने के पूर्व दरोगा जी ने थाना परिसर में उससे यह पूछताछ किया था कि आपकी बहन की मृत्यु कैसे हुई। तत्पश्चात दरोगा जी ने उसके पिता जी से पूछताछ किया, उसके उपरान्त उसके पिता जी व उसके जीजा तेजबहादुर यादव उसकी बहन सुलेखा के ससुराल ग्राम मतसा गये तथा वहाँ से सुलेखा की मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त उसके पिता जी ने थाना जमानियां में जाकर इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया, जिस समय पिता जी ने सुलेखा की मृत्यु के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया, उस समय में वह थाना परिसर के बाहर था। उसके पिता द्वारा दी गई तहरीर किस व्यक्ति ने लिखा था, वह नहीं बता सकता। तहरीर लिखने के बाद वह उस तहरीर को पढ़ा था, लेकिन इस समय तहरीर में

वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों को जुबानी नहीं बता सकता। सुलेखा की शादी के उपरान्त वह सुलेखा के ससुराल गया था, वहाँ सुलेखा के ससुराल वालों का व्यवहार कुछ अच्छा भी था, बुरा भी था। सुलेखा के ससुराल वालों ने उससे किसी चीज की मांग नहीं करते थे। कभी–कभी रात को रूकता था, तो कभी उसी दिन वापस चला आता था। उसकी बहन सुलेखा की मृत्यु की सूचना के पूर्व लगभग दो महीना पहले अंतिम बार सुलेखा की ससुराल गया था तथा उस समय ससुरालीजन का व्यवहार सामान्य था तथा वह एक ही दिन में वहाँ सुलेखा से मिलकर वापस आ गया था। उसे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति ग्राम मतसा या अगल–बगल का नहीं मिला, जिसने उसे यह बताया हो कि उसके सामने अभियुक्तगण ने सुलेखा को प्रताड़ित किया हो अथवा उत्प्रेरित किया हो अथवा उसकी हत्या करते हुए अपनी आँख से देखा हो। सुलेखा के पंचायतनामा के समय भी वह, वहाँ पर उपस्थित नहीं था, लेकिन उसके पिता जी ने बताया था कि सुलेका के शव का पंचायतनामा थाना जमानियां में हुआ था। एफ०आई०आर० पंजीकृत कराने के पूर्व दरोगा जी ने उससे जो पूछताछ किया था, उसके बाद उसका पहली बार बयान दिनांक 09.11.2023 को इसी न्यायालय में हुआ था तथा और कोई बयान नहीं लिया गया था। उसकी बहन सुलेखा के मरने के पूर्व उसके पिता जी मतसा गाँव गये थे, तो वह मर चुकी थी। जिस नम्बर से सुलेखा ने उसे विवाद की सूचना दिया तथा जैसा उसने अपना मुख्य बयान दिया है, किस नम्बर से दिया, इस समय उसे वह याद नहीं है।

16– साक्षी पी०डब्लू०–4 लालजी विश्वकर्मा ने अपने मुख्यपरीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि वह दिनांक 09.01.2022 को बतौर तहसीलदार तहसील जमानियाँ, गाजीपुर में कार्यरत था। उस दिन उपजिलाधिकारी जमानियाँ के टेलीफोनिक आदेश के अनुपालन में वह घटनास्थल ग्राम मत्सा, थाना जमानियाँ पहुँचा। घटनास्थल पर मृतका के मायके पक्ष के लोग व ससुलार के गाँव के लोग मौजूद थे। मृतका का शव कमरे में बेड पर मौजूद था। उस समय रात्रि के लगभग 10:30 बजे थे, मौके पर काफी अंधेरा था, इसिलए पंचायतनामा की कार्यवाही हो पाना सम्भव नहीं था। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में से दो पुलिसकर्मियों को वहीं रोककर एस०ओ० जमानियाँ को सुरक्षा हेतु निर्देशित करते हुए वह घटना स्थल से वापस आ गया। दूसरे दिन दिनांक 10.01.2022 को वह लगभग 10.00 बजे प्रातः घटना स्थल पर पहुँचा। मौके पर उपनिरीक्षक गजेन्द्र नाथ मिश्रा थाना जमानियां पंचायतनामा जिल्द व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ मौजू थे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों में से पंचान नियुक्त कर उनके अधिकार व कर्त्तव्य बताकर सामाजिक लोक लाज का व मर्यादा का पालन करने हुए मृतका के शव का महिला आरक्षी अंकिता सिंह से निरीक्षण करवाया, वह बतायी कि मृतका के शव पर कोई चोट का निशान दिखाई नहीं पड़ रहा है, मात्र गले पर एक काला निशान दिखाई पड़ रहा था। गवाह की राय में तथा पंचगणों की राय में मृतका की मृत्यु का वास्तविक कारण जानने हेतु मृतका के शव को पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक था। इसलिए पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक प्रपत्र पंचायतनामा की कार्यवाही लिखवाने के पश्चात उपनिरीक्षक गजेन्द्र नाथ मिश्र ने सी०एम०ओ० को पत्र कागज सं०–10अ/1, आर०आई० को पत्र कागज सं०–10अ/2, चालान नाश का०सं०–11अ, फोटो नाश का०सं०–12अ, नमूना मोहर 13अ तैयार कराकर हस्ताक्षरित किया। वह साक्षी

पंचायतनामा शामिल पत्रावली का०सं०–8अ/1 लगायत 8अ/2 को उपनिरीक्षक गजेन्द्र नाथ मिश्र से लिखवाने के पश्चात पढ़कर, सुनाकर गवाह ने अपना हस्ताक्षर बनाने के पश्चात साक्षीगणों का हस्ताक्षर बनवाया। पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 10.01.2022 को 12:00 पी०एम० पर हुई थी। गवाह ने का०सं०–8अ/1 लगायत 8अ/2, 10अ/1, 10अ/2, 11अ, 12अ, 13अ के विवरण, उस पर बने गवाह ने अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। मृतका के शव को पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात सीलमोहर करके कांस्टेबिल अजय कुमार व निरंकार शुक्ला को सुपुर्द कर पी०एम० हाउस गाजीपुर भेजवाया, विवेचक उसका बयान लिया था।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि यदि कहा जाये कि दिनांक 09.01.2022 को व दिनांक 10.01.2022 को पंचायतनामा की कार्यवाही थाना जमानियां में की गई, तो गलत होगा, क्योंकि शव का पंचायतनामा ग्राम मतसा में ही हुआ था। शव रात भर दिनांक 09.01.2022 को वक्त न होने के कारण पुलिस की अभिरक्षा में ग्राम मतसा में रखा गया था। पंचायतनामा के साथ प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गाजीपुर को सम्बोधित सदर चिकित्सालय गाजीपुर के सम्बन्धित चिकित्साधिकारी डा० अब्दुल मजीद की ओर से दी गयी सूचना कि " एक व्यक्ति कपड़े में बंद शव इस चिकित्सालय में लायी गयी है, जिसके शव को शवगृह में रखवा दिया गया है। शव सुलेखा देवी पत्नी संजय यादव, निवासी मतसा, थाना जमानियां, गाजीपुर सम्बन्धित आरक्षी निरंकार शुक्ला दिनांक 09.01.2022 समय 11.55 पी०एम० की तरफ गवाह का ध्यान आकृष्ट कराया गया, तो गवाह ने कहा कि यह प्रपत्र संलग्नक 11 पुलिस थाना जमानियां द्वारा दिनांक 10.01.2022 को जब वह ग्राम तसा के शव का पंचायतनामा करवा रहा था, तब उपलब्ध कराया गया था। दौरान पंचायतनामा शव की सर्वमोहर सील दिनांक 10.01.2022 को ही ग्राम मतसा की गई थी। जब वह दिनांक 10.01.2022 को शव का पंचायतनामा करने पहुँचा, उस समय शव सम्बन्धित आरक्षियों के देखरेख में ग्राम मतसा में पड़ाहुआ था। उस समय तक शव सीलबन्द नहीं थी। दौरान पंचायतनामा उसने मृतका के शव का अवलोकन करवाया था, लेकिन उसके बदन पर कोई भी चोट नहीं पायी गयी थी। गवाहों ने बताया था कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाकर की गई है।"

17– साक्षी पी०डब्लू०–5 हेड कां० नितिन कुमार दूबे ने अपने मुख्यपरीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि वह दिनांक 09.01.2022 को बतौर कां० मुहर्रिर, थाना जमानियां, गाजीपुर में तैनात था। उस दिन शिवसागर पुत्र पुरूषोत्तम, निवासी ग्राम लमुई, थाना जमानियां द्वारा प्राप्त करायी गयी तहरीर के आधार पर अक्षरशः तहरीर बोलकर सी०सी०टी०एन०एस० पर अंकित कराया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं०–4अ/1 लगायत 4अ/2 के विवरण, उस पर बने थाना प्रभारी के हस्ताक्षर को प्रमाणित करता है। उस पर प्रदर्श क–8 अंकित किया गया है। उपरोक्त अपराध सं०–11/2022 की कायमी मूल जी०डी० में रपट नं०–70 दिनांक 09.01.2022 पर सी०सी०टी०एन०एस० से बोलकर अंकित कराया

था, जो शामिल पत्रावली कागज सं०–14अ/3 है, गवाह ने कागज सं०–14अ/3 के विवरण, उस पर बने थाना प्रभारी के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया है। सी०ओ० साहब ने उसका बयान नहीं लिये थे।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकरण के सम्बन्ध में थाना पर तहरीर दिया था। उस व्यक्ति से उसने कोई परिचय पत्र नहीं मांगा था। यह सुनिश्चित करने के लिये की तहरीर देने वाल व्यक्ति शिवसागर है कि नहीं। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त उसने तहरीर देने वाले व्यक्ति को एफ०आई०आर० की कापी उपलब्ध करायी थी। लेकिन एफ०आई०आर० के कालम सं०–14 पर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं लगवाया था। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त उसने उपनिरीक्षक गजेन्द्र नाथ मिश्रा, कां० निरंकार शुक्ला, कां० अजय कुमार मय दीगर कागजात पंचायतनामा मौके पर खाना किया था। लेकिन निरंकार शुक्ला (कां०) की वापसी थाने पर कब हुई, इस समय याददास्त के आधार पर नहीं बता सकता कि निरंकार शुक्ला वगैरह दिनांक 09.01.2022 को रात्रि में वापस आ गये थे कि नहीं। दिनांक 10.01.2022 को भी कां० निरंकार शुक्ला वगैरह पंचायतनामा सम्पन्न कराकर थाना पर वापस आये थे कि नहीं, वह याददास्त के आधार पर नहीं बता सकता है। दिनांक 09.01.2022 की अर्धरात्रि में ही मृतका सुलेखा की लाश थाना जमानियां परिसर में आयी थी कि नहीं, वह नहीं बता सकता है। वह यह भी नहीं बता सकता है कि मृतका की लाश का पंचायतनामा कब और कहां हुआ था।

18– साक्षी पी०डब्लू०–6 डा० के०डी० उपाध्याय ने अपने मुख्यपरीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.01.2022 को बतौर चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदपुर में कार्यरत था। कुछ दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस, गाजीपुर में लगायी गयी थी। उसके साथ पोस्टमार्टम हेतु डा० मुकेश चौहान न्यू पी०एच०सी० रायपुर, जनपद गाजीपुर की भी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु लगायी गयी थी। उस दिन दिनांक 10.01.2022 समय लगभग 04:00 पी०एम० पर कां० अजय कुमार व निरंकार शुक्ला थाना कोतवाली जमानियां, जनपद गाजीपुर द्वारा मृतका सुलेखा पत्नी संजय यादव पुत्री शिवसागर, निवासी मतशा, थाना जमानियां का शव पोस्टमार्टम हेतु प्राप्त कराया गया। शव का पहचान शिवसागर यादव व तेजबहादुर यादव द्वारा सुलेखा (उपरोक्त) के रूप में किया गया।

<u>सामान्य निरीक्षणः–</u>

मृतका सामान्य कद काठी की महिला था। मृतका के दोनों आँख व मुँह बन्द था। शव में अकड़न ऊपरी भाग से होते हुए निचली भाग तक सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। मृतका के ओठ और नाखून नीले पड़े हुए थे। मृतका के शव पर साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, ब्रा एवं पेन्टी तथा दोनों पैर के दो–दो अंगुलियों में सफेद धातु की चार बिछिया, दांये हाथ में प्लास्टिक के कंगन व शीशे की चूड़ियां थीं।

<u>बाह्य चोटेंः–</u>

मृतका के गले में 25cmx2.00cm–2.50cm ढुड़ी के नीचे थाइराइड कार्टिलेज के दाहिने कान से 3.00cm नीचे व बांये कान से 5.00cm नीचे तिरछे अवस्था में लिगिलेचर मार्क था। लिगिलेचर मार्क के दोनों सिरों में गर्दन के पिछले भाग में दांये तरफ 4.00cm का गैप था। लिगिलेचर मार्क की कुल लम्बाई 29cm था। लिगिलेचर मार्क लालिमा लिये हुए भूरा था। लिगिलेचर मार्क काटकर खोलने पर अन्दर भी टिशू सफेद, कठोर एवं चमकीले पाये गये।

<u>आन्तरिक परीक्षणः–</u>

मृतका का मस्तिष्क झिल्लियां सहित श्वास नली, प्लूरा, फेफडे कन्जेस्टेड थे। हृदय के दाहिने भाग में गहना भूरा खून भरा था। बायां भाग खाली था। मृतका का गर्भाशय खाली था। बड़ी आँत में गैस एवं मल पदार्थ मौजूद था।

<u>रायः–</u>

मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम के समय से 24 से 36 घण्टे के मध्य पूर्व में हुई थी। मृतका की मृत्यु एन्टीमार्टम हैंगिंग के परिणाण स्वरूप दम घुटने से हुई थी। मृतका के लिवर प्लीहा, गुर्दे, आमाशय, छोटी आंत अपेंडिक्स सहित रासायनिक परीक्षण हेतु रिजर्व किया गया। रिजर्व किये गये विसरा निर्धारित कीट उपलब्ध न होने के कारण एक बड़े जार में संरक्षित कर सील मुहर किया गया।

मृतका का पोस्टमार्टम उस दिन 04.10 पी०एम० पर प्रारम्भ होकर 04.40 पी०एम० पर पूर्ण हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार करवाया। पोस्टमार्टम पर गवाह ने अपना हस्ताक्षर बनवाने के पश्चात उसके सामने उसके सहयोगी डाक्टर मुकेश चौहान भी हस्ताक्षर बनाये थे। पोस्टमार्टम के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दो प्रति मृतिका का शव, शव के साथ प्राप्त समस्त वस्तुएं संरक्षित किया गया विसरा कां० अजय कुमार थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर को सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति सी०एम०ओ० गाजीपुर को उपलब्ध कराने हेतु पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल पत्रावली कागज सं०–9अ/1 लगायत 9अ/3 के विवरण व उस पर बने गवाह ने अपने हस्ताक्षर व डाक्टर मुकेश चौहान के हस्ताक्षर को गवाह ने प्रमाणित किया, जिस पर प्रदर्श क–10 अंकित किया गया है। विवेचक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूछताछ किये थे।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतकाके गर्दन पर पाये गये लिगिलेचर मार्क के अतिरिक्त उसके बदन पर कोई वाह्य चोट नहीं पायी गयी थी। मृतका का शव विच्छेदन 04.40 पी०एम० पर दिनांक 10.01.2022 को किया गया था तथा उसकी मृत्यु का सम्भावित समय एक से डेढ़ दिन होना पाया गया अर्थात मृतका की मृत्यु दिनांक 09.01.2022 को 04.40 अथवा 09.01.2022 को 04.00 बजे भोर की भी हो सकती है। उसने मृतका की मृत्यु दम घुटने से होना लिखा है, जो उसकी गर्दन पर पायी गयी चोट के कारण हुआ था। हैंगिंग सामान्यतया आत्महत्या करने से ही आती है।

19– साक्षी पी०डब्लू०–7 विवेचक क्षेत्राधिकारी हितेन्द्र कृष्ण ने अपने मुख्य परीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि वह दिनांक 10.01.2022 को बहैसियत पुलिस उपाधीक्षक के पद पर जमानियां में तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या 11/2022 धारा 498 ए, 304 बी आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी० एक्ट में घटना दिनांक 09.01.2022 की विवेचना ग्रहण किया तथा केस डायरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन कर पर्चे में अंकित किया। नकल रपट कायमी का अवलोकन कर पर्चे में अंकित किया। उसी दिन कान्स्टेबिल मुहर्रिर नितिन कुमार दूबे का बयान अंकित किया। उस दिन घटनास्थल ग्राम मतसा, थाना जमानियां, गाजीपुर आया, जहां मृतका सुलेखा के पंचायतनामा की कार्यवाही तहसीलदार जमानियां द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा वादी शिवसागर यादव ने कहा कि वह लड़की की मृत्यु से काफी दुखी है, इस समय बयान देने की स्थिति में नहीं है और न ही आज घटनास्थल उसको दिखा पाएगा। अगले दिन आकर घटनास्थल भी दिखाउंगा और अपना बयान भी दूंगा तथा शादी का कार्ड भी उपलब्ध करा दूंगा। दिनांक 12.01.2022 को मुकदमा वादी शिवसागर का बयान अंकित किया, जिसमें उसने बताया कि उसके लड़की के पति संजय यादव, सास चनवा देवी, उसकी लड़की को दहेज में मोटरसाईकिल को लेकर प्रताड़ित करते थे और दिनांक 09.01.2022 को दो बजे दिन में सूचना मिली कि उसकी लडकी सुलेखा को फांसी लगाकर मार दिये हैं। इस सूचना पर वह अपने दामाद तेजबहादुर के साथ वहां पहुंचा, तो देखा कि कमरा खुला है, उसकी लड़की को फांसी लगाकर मार दिये हैं। वादी मुकदमा ने अपनी लड़की की शादी का कार्ड दिया, जिसका अवलोकन कर पर्चे में अंकित किया। उसी दिन मृतका के भाई विकास यादव का बयान अंकित किया, जिसमें उसने बताया कि उसकी बहन के पति संजय यादव व सास चनवा देवी हीरो होण्डा मोटरसाईकिल की मांग करते थे और इसी के कारण उसकी बहन सुलेखा को मार दिये तथा घटना का समर्थन किया। उसी दिन मुकदमा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया। वह नक्शा–नजरी शामिल पत्रावली कागज संख्या 6 अ है, जिसको देखकर गवाह ने अपने लेख वर्णन और हस्ताक्षर को तस्दीक किया, जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांक 13.01.2022 को अभियुक्त संजय यादव की गिरफ्तारी के नकल रपट एवं पी०एम० रिपोर्ट का अवलोकन कर पर्चे में अंकित किया। अभियुक्त संजय यादव का बयान भी उसी दिन अंकित किया। दिनांक 17.01.2022 को मृतका सुलेखा के पंचायतनामा का अवलोकन कर पर्चे में अंकित किया व मृतका की मां लाली देवी का बयान अंकित किया, जिसमें उसने मोटरसाईकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करने एवं उसी के कारण सुलेखा की हत्या करने की बात बतायी। उसी दिन पंचायतनामा के गवाह तेजबहादुर सिंह, सौदागर, जयप्रकाश, भोला यादव का बयान अंकित किया। दिनांक 26.01.2022 को शादी के अगुवा सुरेश यादव, शादी के नाई रमाकान्त व पण्डित जयप्रकाश तिवारी का बयान अंकित किया, जिन्होंने बताया कि दिनांक 15.06.2019 को शादी हुई थी और विदाई 16.06.2019 को हुई थी। उसी दिन पोस्टमार्टमकर्ता कान्स्टेबिल अजय कुमार का बयान अंकित किया। दिनांक 05.02.2022 को अभियुक्ता चनवा देवी की गिरफ्तारी की दाखिला संबंधी नकल रपट रोजनामचा का अवलोकन कर पर्चे में अंकित किया, उसी दिन अभियुक्ता चनवा देवी का बयान अंकित किया। दिनांक 21.02.2022 को पी०एम०कर्ता डा०

मुकेश चौहान के बयान हेतु गया नहीं मिले। दिनांक 02.03.2022 को मुन्ना यादव, चन्द्रकेश, हनुमान का बयान अंकित किया, उसी दिन तहसीलदार लालजी वर्मा का बयान अंकित किया। दिनांक 26.03.2022 को पी०एम०कर्ता डा० मुकेश चौहान का बयान अंकित किया। नामजद आरोपी ननद सरोजा यादव का बयान अंकित किया। उसी दिन आरोपी सोनू यादव, आरोपी विनोद यादव का बयान अंकित किया। मृतका सुलेखा का विसरा, जो हेड कान्स्टेबिल बाबूलाल सोनकर, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी में दाखिल किये थे, का अवलोकन कर पर्चे में अंकित किया। अभियुक्तगण संजय व चनवा देवी के विरुद्ध बखूबी साक्ष्य पाते हुए जुर्म धारा 498 ए, 304 बी भा०द०वि० एवं 3/4 डी०पी० एक्ट में आरोप पत्र संख्या–69/2022 दिनांक 26.03.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। वह आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या 3 अ/1 लगायत 3 अ/5 है, को देखकर गवाह ने उपरोक्त के वर्णन एवं अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर इस साक्षी ने यह कथन किया है कि दौरान विवेचना उसने पंचायतनामा का अवलोकन किया था। पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 10.01.2022 को 12:30 पी.एम. पर समाप्त हुई थी। पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 10.01.2022 को कब शुरू की गयी थी, इसका पंचायतनामा में इन्द्राज नहीं है, इस तथ्य का स्पष्टीकरण पंचायतनामा कर्ता तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा दे सकते हैं। पंचायतनामा की समस्त कार्यवाही घटनास्थल के ग्राम मतसा में ही सम्पन्न हुई थी और दिनांक 10.01.2022 को पंचायतनामा के उपरान्त वहीं से लाश, शव विच्छेदन हेतु शवगृह भेजी गयी थी। दौरान विवेचना उसने पंचायतनामा के साथ संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया था, गवाह को पंचायतनामा के साथ संलग्न इन्क्लोजर नं० 11 सदर चिकित्सालय गाजीपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गाजीपुर को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि सूचित करना है कि 'निम्न विवरण का एक व्यक्ति कपड़े में बन्द शव इस चिकित्सालय में लायी गयी है, जिसके शव को शवगृह में रखवा दिया गया है, नाम सुलेखा देवी 21 वर्ष महिला, पत्नी संजय यादव, ग्राम मतसा, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर ब्राड बाई कान्स्टेबिल निरंकार शुक्ला थाना जमानियां गाजीपुर मोबाईल नम्बर 9170398165 दिनांक 09.01.2022 समय 11:55 पी.एम. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,' को दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी विवेचनाधिकारी ने कहा कि यह पत्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संलग्न किया गया है, उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस पत्र का अंकन थाना कोतवाली गाजीपुर के रोजनामचा जी.डी. नं० 67 दिनांक 10.01.2022 16:46 बजे वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा किया गया है, जो इन्क्लोजर नम्बर 12 पत्रावली पर उपलब्ध है।

साक्ष्य का विश्लेषण

20– अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण संजय यादव व चनवा देवी पर मृतका सुलेखा से मोटरसाइकिल की मांग करने, दहेज की पूर्ति न होने के कारण उसे प्रताड़ित करने और अंततः उसकी दहेज हत्या कारित करने का आरोप लगाया गया है।

अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 07 साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसमें से तथ्य के 03 साक्षीगम हैं। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा शिवसागर है, पी०डब्लू०–2 तेजबहादुर यादव वादी मुकदमा का दामाद है तथा पी०डब्लू०–3 विकास यादव वादी मुकदमा का लड़का है। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर मृतका सुलेखा की दहेज हत्या कारित करने का आरोप है।

21– भारतीय दण्ड संहिता की धारा–304 बी का सम्बन्ध दहेज मृत्यु से है, जो निम्नवत पठनीय है–

304 बी– दहेज मृत्यु–(1) जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिये या उसके सम्बन्ध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को " दहेज मृत्यु " कहा जायेगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का यही अर्थ है, जो **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (1961 का 28) की धारा** 2 में है।

उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित आवश्यक तत्वों के सबूत पर ही दहेज मृत्यु की उपधारणा को किया जा सकता है।

(क)– स्त्री की मृत्यु को दग्ध उपहतियों द्वारा या शारीरिक उपहति द्वारा कारित किया गया था अथवा यह सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की परिस्थितियों में घटित हुई थी।

(ख)– वह मृत्यु उसके विवाह के साथ वर्ष के भीतर हुई हो।

(ग)– उस स्त्री के साथ उसके पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता अथवा उत्पीड़न कारित किया गया है।

(घ)– वह क्रूरता या उत्पीड़न दहेज के लिए या दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में हो, और

(ड़)– वह क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व हुआ हो।

इस प्रकार धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक होता है कि स्त्री का पति या उसके नातेदार द्वारा स्त्री के साथ क्रूरता कारित की गई हो।

22– प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका सुलेखा देवी, अभियुक्त संजय यादव की विवाहिता पत्नी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि मृतका सुलेखा की शादी अभियुक्त संजय यादव से दिनांक 15.06.2019 को हुई थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त संजय यादव की शादी मृतका सुलेखा के साथ वर्ष 2014 में हुई थी तथा गवना वर्ष 2019 में हुआ था। ऐसी

स्थिति में प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि मृतका सुलेखा की शादी अभियुक्त संजय यादव के साथ कब हुई थी ?

23– इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये सभी साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मृतका सुलेखा की शादी दिनांक 15.06.2019 को अभियुक्त संजय यादव के साथ हुई थी। इस सम्बन्ध अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका सुलेखा एवं अभियुक्त संजय यादव की शादी के बाबत शादी का कार्ड वस्तु प्रदर्श–1 पत्रावली पर दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मृतका सुलेखा यादव एवं संजय यादव की शादी की तिथि 15.06.2019 अंकित है। बचाव पक्ष की ओर से मात्र कथन किया गया है कि मृतका सुलेखा की शादी अभियुक्त संजय के साथ वर्ष 2014 में हुई थी, कोई विश्वसनीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। यहाँ तक की बचाव पक्ष की ओर से दो बचाव साक्षीगण का साक्ष्य भी न्यायालय में कराया गया है। परन्तु उन दोनों साक्षीगण ने भी शादी की तिथि के बावत कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्षीगण की ओर से शादी की तिथि के बाबत बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु उक्त प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जिससे यह दर्शित हो कि शादी की तिथि के बावत अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्षीगण मिथ्या कथन किये हों। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मृतका सुलेखा एवं अभियुक्त संजय यादव की शादी दिनांक 15.06.2019 को हुई थी।

24– प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 09.01.2022 को हुई है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष का यह तथ्य साबित हो चुका है कि मृतका सुलेखा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर उसकी ससुराल में सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अब यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका सुलेखा देवी से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी और उसके बाबत मृतका को अभियुक्तगण द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था ?

25– इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण उसकी पुत्री सुलेखा देवी को दहेज की बात को लेकर हमेशा प्रताड़ित करते थे और दिनांक 09.01.2022 को समय 02.00 बजे दोपहर मार–पीटकर हत्या कर दिये। परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज में किस चीज की मांग की जाती थी। लेकिन जब वादी मुकदमा का साक्ष्य पी०डब्लू०–1 के रूप में न्यायालय में कराया गया, तब उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्तगण दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और उसी के लिये उसे प्रताड़ित करते थे। पी०डब्लू०–1 ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। परन्तु इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में पेज सं०–1 पर स्पष्ट रूप से बताया है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में क्या लिखा था, वह नहीं जानता, क्योंकि तहरीर उसे पढ़कर सुनाया नहीं गया था। उसने मात्र उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण

के पेज–2 पर यह भी बताया है कि उसकी लड़की सुलेखा की मृत्यु के सम्बन्ध में कभी किसी पुलिस अधिकारी ने उसका बयान भी नहीं लिया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी लड़की सुलेखा की शादी हंसी–खुशी सम्पन्न हुई थी, वह जब भी सुलेखा की ससुराल जाता था, ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा था। ससुराल वाले खुशी–खुशी उसकी विदाई करते थे, उन लोगों में किसी प्रकार का वाद–विवाद नहीं था। उसकी लड़की जब विदा होकर उसके घर आती थी, तो अपने ससुराल वाले की तारीफ करती थी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेज–4 पर यह बताया कि अभियुक्त संजय यादव के पिता तथा सुलेखा के ससुर एक सज्जन आदमी हैं। विवाह की हर रस्म खुशी–खुशी सम्पन्न किये। उनके परिवार के लोग भी हम लोगों से खुश थे तथा हम लोगों के व्यवहार से वे लोग भी खुश थे।

26– इस प्रकार पी०डब्लू०–1 के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतका सुलेखा देवी के ससुराल वालों का व्यवहार सुलेखा के प्रति अच्छा था। वे सुलेखा के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करते थे। क्योंकि पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा कि जब उसकी लड़की अपने मायके आती थी, तो अपने ससुराल वालों की तारीफ करती थी।

इसी प्रकार पी०डब्लू०–1 ने ही अपने प्रतिपरीक्षण के पेज सं०–5 पर यह भी कथन किया है कि उसकी बेटी सुलेखा उस घर की एकमात्र बहू थी तथा व बखूबी अपने कार्य का निर्वहन कर रही थी, लेकिन उसकी लड़की सुलेखा यह कहती थी कि पापा मेरे ससुराल में लम्बा परिवार है, ज्यादा लोगों को खाना बनाना पड़ता है, मैं थक जाती हूँ। तब साक्षी द्वारा मृतका सुलेखा को समझाया जाता था कि सब कुछ धीरे–धीरे ठीक हो जायेगा। जब छोटे वाले भाई की शादी हो जायेगी, तब तुम्हारा काम भी कम हो जायेगा, लेकिन इससे मृतका सुलेखा दुखी रहती थी।

27– अभियुक्तगण का भी मुख्य रूप से यही बचाव है कि मृतका के उपर ही पूरे परिवार की जिम्मेंदारी थी, जिससे वह थक जाती थी तथा हमेशा दुखी रहती थी और इसी कारण जब परिवार के अन्य सदस्यगण बाहर गये थे, तो उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तर्क को अभियुक्तगण ने अपने कथन धारा–351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी उल्लिखित किया है।

28– इसी प्रकार पी०डब्लू०–2 जो की वादी मुकदमा का दूसरा दामाद है एवं मृतका सुलेखा का जीजा है, ने अपने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा दहेज मांगे जाने के बाबत कोई साक्ष्य नहीं दिया है, बल्कि इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी साली सुलेखा की शादी खुशी–खुशी सम्पन्न हुई थी तथा दहेज के लिये कोई वाद–विवाद नहीं हुआ था। उसे इस घटना के बाबत जो कुछ भी जानकारी है, वह उसके ससुर शिवसागर (वादी मुकदमा) के बताने के आधार पर ही जानकारी है, उसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेज सं०–2 पर भी स्पष्ट रूप से बताया है कि जब वह और शिवसागर सुलेखा की मृत्यु की सूचना पर उसके ससुराल ग्राम मतसा

पहुँचे, उस समय उस गाँव का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसने बताया हो कि सुलेखा के ससुराल वालों द्वारा सुलेखा को दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाता हो।

इस प्रकार पी०डब्लू०–2 पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य से भी यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण मृतका सुलेका से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे और उसके लिये उसे प्रताड़ित करते थे।

29– इसी प्रकार पी०डब्लू०–3 विकास यादव जो मृतका सुलेखा का सगा भाई है, ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण, मृतका से दहेज में हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल की मांग करते थे और उसके लिये उसे मारते–पीटते थे। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दहेज में मोटरसाइकिल मांगने के बाबत कोई कथन नहीं किया गया है। पी०डब्लू०–1 ने अपने मुख्य परीक्षा में केवल मोटरसाइकिल मांगने के बाबत साक्ष्य दिया है। पी०डब्लू०–2 ने अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज में मोटरसाइकिल मांगने के बाबत कोई साक्ष्य नहीं दिया है। परन्तु पी०डब्लू०–3 दहेज में हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल मांगने के बाबत साक्ष्य दिया है। अर्थात प्रत्येक स्तर पर दहेज के बावत अभियोजन कथानक में वृद्धि की गयी है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में पेज सं०–4 पर स्पष्ट रूप से बताया है कि सुलेखा के ससुराल वालों ने उससे किसी चीज की मांग नहीं करते थे। सुलेखा की मृत्यु के लगभग दो महीना पूर्व वह सुलेखा की ससुराल गया था। उस समय ससुरालीजन का व्यवहार सामान्य था। उसे आज तक ग्राम मतसा या अगल–बगल का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, जिसने उसे बताया हो कि अभियुक्तगण, मृतका सुलेखा को प्रताड़ित किया हो अथवा उत्प्रेरित किया हो अथवा उसकी हत्या करते हुए अपनी आँखों से देखा हो।

30– इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने और उसके लिये उसे प्रताड़ित करने के बाबत विश्वसनीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है।

31– अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्षी पी०डब्लू०–2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेज सं०–2 पर यह बताया है कि जब वह और शिवसागर (वादी मुकदमा) मतसा गाँव पहुँचे, तो देखा कि जिस कमरे में सुलेखा की लाश लटकी हुई थी, उसका दरवाजा प्लाई का था तथा आधा तोड़ा गया था तथा दरवाजे की कुंडी अन्दर से टूटी हुई थी। साक्षी के इस कथन से भी स्पष्ट है कि मृतका कमरे में बन्द होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कारित की है। इसके साथ पी०डब्लू०–2 नें अपने प्रतिपरीक्षण के पेज सं०–2 पर बताया कि मृतका सुलेखा की गर्दन के चोट के अतिरिक्त अन्य कोई चोट दिखायी नहीं दे रही थी। इस तथ्य का समर्थन पी०डब्लू०–1 शिवसागर ने अपने साक्ष्य में किया है। क्योंकि पी०डब्लू०–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षण के पेज सं०–4 पर स्पष्ट रूप से बताया है कि जब उसने सुलेखा की लाश को देखा, तो उसके शरीर पर अन्य कोई चोट का निशान नहीं दिखायी दे रहा था, बल्कि वह गर्दन में साड़ी लगाकर

पंखा से लटकी हुई थी। इन साक्षीगण के कथन का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। क्योंकि डा० के०डी० उपाध्याय पी०डब्लू०–6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है कि मृतका के गले में 25cmx2.00cm–2.50cm ढुड़ी के नीचे थाइराइड कार्टिलेज के दाहिने कान से 3.00cm नीचे व बांये कान से 5.00cm नीचे तिरछे अवस्था में लिगिलेचर मार्क था। लिगिलेचर मार्क के दोनों सिरों में गर्दन के पिछले भाग में दांये तरफ 4.00cm का गैप था। लिगिलेचर मार्क की कुल लम्बाई 29cm था। उसके अलावा शरीर के अन्य भाग पर अन्य कोई चोट नहीं थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया है कि मृतका के गर्दन पर पाये गये लिगेचर मार्क के अतिरिक्त उसके शरीर पर कोई वाह्य चोट नहीं पायी गयी थी। इस सक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने मृतका की मृत्यु दम घुटने से होना लिखा है, जो उसकी गर्दन पर पायी गयी चोट के कारण हुआ था। हैंगिंग समान्यतः आत्महत्या करने से ही आती है।

32– अतः अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्ष्य से यह अभियोजन पक्ष का तथ्य भी साबित नहीं होता है कि मृतका को उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व भी प्रताड़ित किया गया था। अर्थात धारा–304 बी को साबित करने के लिये जो आवश्यक तथ्य होते हैं कि मृतका की उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व प्रताड़ित किया गया हो, उक्त तथ्य को भी अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्ष्य से साबित नहीं होता है।

33– प्रस्तुत मामले में पंचायतनामा प्रदर्श क–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतका का पंचायतनामा कब शुरूआत हुआ, उसका उल्लेख पंचायतनामा पर नहीं किया गया है। परन्तु पंचायतनामा में यह उल्लेख की मृतका का पंचायतनामा दिनांक 10.01.2022 को 12.30 पी०एम० पर किया गया था। पंचायतनामा के बाबत अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये साक्षीगण की ओर से भिन्न–भिन्न साक्ष्य दिये गये हैं। पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने अपने प्रतिपरीक्षण में पेज सं०–3 पर बताया है कि उसकी पुत्री सुलेखा के लाश का पंचायतनामा दूसरे दिन दिनांक 10.01.2022 को थाना जमानियां पर हुआ था। पुलिस रात में ही उसकी लड़की की लाश को लेकर थाने पर आ गयी थी तथा दूसरे दिन थाने पर ही पंचायतनामा हुआ था। इसी प्रकार पी०डब्लू०–2 अपने प्रतिपरीक्षण के पेज सं०–2 पर बताया है कि मृतका के शव का पंचायतनामा घटना तिथि को ही हुआ था। लेकिन पंचायतनामा पर उन लोगों का हस्ताक्षर दरोगा जी ने दूसरे दिन थाना पर बुलाकर करवाया था। उस समय सुलेखा की लाश थाने पर नहीं थी, बल्कि रात में ही शव विच्छेदन के लिये जा चुकी थी। परन्तु पंचायतनामा कर्ता पी०डब्लू०–4 लालजी विश्वकर्मा तहसीलदार ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक 09.01.2022 को घटना की सूचना पर घटना स्थल पर गये, घटना स्थल पर मृतका के मायके व ससुराल तथा गाँव के लोग मौजूद थे। रात्रि के लगभग साढ़े दस बज गये थे, मौके पर काफी अंधेरा था, इसलिये पंचायतनामा की कार्यवाही हो पाना सम्भव नहीं था। इस कारण मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी में से दो पुलिसकर्मियों को वहां पर रोककर वह घटना स्थल से वापस आ गया और दूसरे दिन दिनांक 10.01.2022 को लगभग 10 बजे प्रातः घटना स्थलपर पहुँचा, तब जाकर मृतका के शव का पंचायतनामा किया। इस प्रकार पी०डब्लू०–4 के साक्ष्य के अनुसार

मृतका का शव रात्रि में घटना स्थल पर ही था। इस बाबत बचाव पक्ष की ओर से भी साक्षी के रूप में डा० अब्दुल मजीद डी०डब्लू०–1 का साक्ष्य कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में कथन किया है कि दिनांक 09.01.2022 को वह आकस्मिक चिकित्साधिकारी सदर अस्पताल गाजीपुर में रात्रि 08.00 बजे से सुबह 08.00 तक ड्यूटी पर था। उसी दिन रात्रि में 11.55 पी०एम० पर कां० निरंकार शुक्ला थाना जमानियां द्वारा कपड़े में बन्द शव सुलेखा देवी उम्र 21 वर्ष महिला पत्नी संजय यादव, ग्राम मतसा थाना जमानियां का शव चिकित्सालय में लाया गया था। जिसको उसने शवगृह में रखवा दिया था। इस साक्षी ने अपने साथ लाये रजिस्टर के पृष्ठ सं०–140, प्रदर्श ख–1 को साबित किया है तथा इसी प्रकार डी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक विरेन्द्र प्रसाद ने इस आशय का साक्ष्य दिया है कि सुलेखा देवी उम्र 21 वर्ष महिला पत्नी संजय यादव ग्राम मतसा, थाना जमानिया, जिला गाजीपुर का शव कां० निरंकार शुक्ला द्वारा दिनांक 09.01.2022 को समय 11.55 पी०एम० पर सदर चिकित्सालय में लाया गया था।

34– इस प्रकार मृतका के शव का पंचायतनामा कराने के बाबत भी अभियोजन पक्ष की ओर से भिन्न–भिन्न साक्ष्य दिये गये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है कि जिससे यह साबित हो कि मृतका के शव को शव गृह में भी रखा गया हो। परन्तु बचाव पक्ष की ओर से विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है कि मृतका के शव को दिनांक 09.01.2022 को समय 11.55 पी०एम० पर सदर चिकित्सालय, गाजीपुर के शव गृह में रखा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा इस तथ्य को जान–बूझकर छुपाया गया, जो मामले को संदेहास्पद बनाता है।

35– प्रस्तुत मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113(बी) के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि धारा–113(बी) के अधीन उपधारणा तभी लागू हो सकती है, जब अभियोजन पक्ष धारा–304 बी भा०दं०सं० के आवश्यक तत्व को साबित करने में सफल रहे। परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष धारा–304 बी भा०दं०सं० के आवश्यक तत्वों को साबित करने में सफल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113(बी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस संबंध में **विधि व्यवस्था राम प्यारे बनाम उ०प्र० सरकार क्रिमिनल अपील संख्या 1408/2025 निर्णय तिथि 09.01.2025** के मामले में अभिनिर्धारित किया है। उक्त मामले में माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113(बी) दहेज हत्या के मामले में तभी लागू हो सकती है, जब अभियोजन पक्ष मृतका को प्रताड़ित अथवा दुष्प्रेरित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट साक्ष्य दे दे। यदि अभियोजन पक्ष मृतका को प्रताड़ित या दुष्प्रेरम का तथ्य साबित नहीं कर पता है, वहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113(बी) की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

36– इसी प्रकार **विधि व्यवस्था मेजर सिंह एवं 01 अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब (2015) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेज 201** पर बल दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि जहाँ मृतका से दहेज की माँग एवं उसके साथ क्रूरता किये जाने के बावत पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य न हो, इसके साथ–साथ पत्रावली पर मृतका के मृत्यु के तत्काल पूर्व क्रूरता किये जाने के बावत भी साक्ष्य न हो एवं साक्षी

पी०डब्लू०–1 एवं पी०डब्लू०–3 का आचरण भी संदिग्ध हो, वहाँ अभियुक्तगण को दण्डित नहीं किया जा सकता एवं माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया था।

37– इसी प्रकार **विधि व्यवस्था अनिल बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2023 (112) ए०सी०सी० 584 इलाहाबाद उच्च न्यायालय** में माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि जहाँ अभियोजन पक्ष अपने मामले को प्रथमतः अपने साक्ष्य से साबित नहीं कर पाता है, वहाँ अभियुक्त के ऊपर साक्ष्य अधिनियम की धारा–106 के अधीन यह भार नहीं डाला जा सकता कि वह यह बतावे कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई ?

निष्कर्ष

38– अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्तगण पर मृतका सुलेखा से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने और उसको मोटरसाइकिल के लिये प्रताड़ित करने तथा अन्ततः उसकी दहेज हत्या कारित करने का आरोप लगाया गया था, परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उससे अभियोजन पक्ष मात्र यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतका सुलेका देवी की शादी अभियुक्त संजय यादव से दिनांक 15.06.2019 को हुई थी और उसकी मृत्यु दिनांक 09.01.2022 को सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसके ससुराल में हो गयी। परन्तु अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा कि अभियुक्तगण मृतका सुलेखा देवी से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे और उसके लिये उसे प्रताड़ित करते थे। इसके साथ–साथ अभियोजन पक्ष यह तथ्य भी साबित करने में असफल रहा है कि मृत्यु के तत्काल पूर्व मृतका सुलेखा देवी को दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया था। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर गले की चोटे के अलावा अन्य कोई चोट उसके शरीर पर नहीं पायी गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्षीगण ने भी यह स्वीकार किया है कि मृतका के मात्र गले पर चोट थी। उसके अतिरिक्त उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप धारा–304 बी भा०दं०सं० साबित नहीं होता है।

39– पत्रावली पर आये साक्ष्य से यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण मृतका से दहेज की मांग करते थे और उसके लिये मृतका को प्रताड़ित करते थे। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा–498 ए भा०दं०सं० भी साबित नहीं होता है।

40– चूँकि पत्रावली पर अभियुक्तगण द्वारा दहेज लेने अथवा देने के बाबत अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4 भी साबित नहीं होती है।

41– अभियुक्तगण के विरूद्ध विकल्प में भारतीय दण्ड संहिता की धारा–302 का भी आरोप लगाया गया है। हत्या की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा–300 में दी गयी है, जो इस प्रकार हैः–

300. Murder.—

Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or—

(Secondly)— If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, or—

(Thirdly)— If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or—

(Fourthly)— If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid.

42– पत्रावली पर जो साक्ष्य आया है, उससे यह तथ्य साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने मृतका की हत्या कारित की है, बल्कि जो साक्ष्य आया है, उससे यह दर्शित होता है कि मृतका उस घर की अकेली बहू थी तथा ससुराल में लम्बा परिवार था, ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ता था, जिससे वह थक जाती थी। इसी बात को लेकर वह परेशान भी रहती थी और इस परेशानी को वह अपने पिता (वादी मुकदमा) को बताती भी थी। जिस पर वादी मुकदमा, मृतका को समझाता भी था कि छोटे भाई का विवाह होने पर सब कुछ ठीक हो जायेगा। परन्तु उसी तनाव में आकर मृतका द्वारा आत्महत्या कारित किया जाना कहा गया है। इस तथ्य को पी०डब्लू०–1 वादी मुकदमा ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू०–2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेज सं०–2 पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जब वह और शिवसागर मतसा गाँव पहुँचे, तो देखा कि जिस कमरे में सुलेखा की लाश लटकी हुई थी। उसका दरवाजा प्लाई का था तथा आधा तोड़ा गया था तथा दरवाजे की कुंडी अन्दर से टूटी हुई थी। इससे भी स्पष्ट है कि मृतका कमरे में बन्द होकर आत्महत्या कारित की है। इसके साथ–साथ मृतका के पंचायतनामा के समय एवं स्थान के बाबत अभियोजन पक्ष की ओर से दिये गये भिन्न–भिन्न साक्ष्य भी मामले को सन्देहास्पद बनाते हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से इस आशय का कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है कि मृतका के शव को दिनांक 09.01.2022 की रात्रि में शव गृह में भी रखा गया था। परन्तु बचाव पक्ष की ओर से इस आशय का विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है कि मृतका के शव को दिनांक 09.01.2022 को सदर अस्पताल गाजीपुर में स्थित शव गृह में भी रखा गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा इस तथ्य को क्यों छुपाया गया, इसका कोई स्पष्ट उत्तर अभियोजन पक्ष की ओर से नहीं दिया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

43– इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये

गये आरोप अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी/34 वैकल्पिक धारा–302/34, भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संजय यादव एवं चनवा देवी को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण संजय यादव एवं चनवा देवी को आरोप अन्तर्गत धारा–498 ए, 304 बी/34 वैकल्पिक धारा–302/34, भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन वर्णित अपराध से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

बाद मियाद अपील, अपील न होने की स्थिति में प्रकरण से सम्बन्धित समस्त प्रदर्श व वस्तु प्रदर्श नियमानुसार निस्तारित किये जायें, अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किये जायेंगे।

धारा–437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अनुपालन में नवीन बंधपत्र दाखिल किये गये, जो बंधपत्र दाखिल किये जाने से 06 माह तक अथवा अपील दाखिल किये जाने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार बंधपत्र, प्रतिभू–पत्र प्रभावी रहेंगे।

निर्णय की एक प्रति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–406 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर को भेजी जाए।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
J.O Code UP-2002

<u>दिनांकः–06.06.2026</u>

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
J.O Code UP-2002

<u>दिनांकः–06.06.2026</u>

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विधि व्यवस्था मनोज भाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम स्टेट ऑफ गुजराज 2005 आई०एन०एस०सी० 1433** में दी गयी गाईड लाइन के अनुसार टुबुलेटेड चार्ट निम्नवत हैः–

मौखिक साक्ष्यों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी०डब्लू०–1	शिवसागर	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	तेजबहादुर यादव	तथ्य साक्षी
पी०डब्लू०–3	विकास यादव	तथ्य साक्षी
पी०डब्लू०–4	तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा	पंचायतनामाकर्ता/औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०–5	हेड कांस्टेबिल नितिन कुमार दूबे	चिक लेखक/औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०–6	डा० के०डी० उपाध्याय	शव विच्छेदन कर्ता/औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू०–7	क्षेत्राधिकारी हितेन्द्र कृष्ण	विवेचक/औपचारिक साक्षी

अभिलेखीय साक्ष्य का विवरण

क्रम संख्या	प्रकार/प्रदर्श संख्या	साबित किया गया
1	लिखित तहरीर/प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1
2	पंचायतनामा/प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–4
3	पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–4
4	पत्र प्रतिसार निरीक्षक/प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–4
5	पुलिस प्रपत्र–13, चालान नाश/प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–4
6	फोटो नाश/प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–4
7	नमूना मुहर/प्रदर्श क–7	पी०डब्लू०–4
8	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्रदर्श क–8	पी०डब्लू०–5
9	नकल जी०डी०/प्रदर्श क–9	पी०डब्लू०–5
10	शव विच्छेदन आख्या/प्रदर्श क–10	पी०डब्लू०–6
11	नक्शा–नजरी/प्रदर्श क–11	पी०डब्लू०–7
12	आरोप–पत्र/प्रदर्श क–12	पी०डब्लू०–7

भौतिक (Material) साक्ष्य का विवरण

1	विवाह का निमंत्रण कार्ड/वस्तु प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1

बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का विवरण

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य का प्रकार
1	डा० अब्दुल मजीद	बचाव साक्षी
2	उपनिरीक्षक विरेन्द्र प्रसाद मिश्र	बचाव साक्षी

बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य

क्रम संख्या	प्रकार /प्रदर्श संख्या	साबित किया गया
1	सुलेखा के शव को शवगृह में रखन के बाबत प्रपत्र/प्रदर्श ख–1	डी०डब्लू०–1
2	नकल जी०डी० संख्या 67/प्रदर्श ख–2	डी०डब्लू०–2

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
J.O Code UP-2002

दिनांकः–06.06.2026

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.06 12:25:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court